फर्द अहकाम

(नियम 26)

2025/247

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री कान्तिलाल उपाध्याय
निवासी ब्रह्मपुरी मोहल्ला
सांतपुर तहसील आबूरोड
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
सचिव नगर सुधार न्यास आबू

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 41 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
01.09.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 03.07.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा जनवरी 2010 से आज तक कार्यालय के अधीनस्थ क्षेत्र मे बिना स्वामित्व दस्तावेज/बिना निर्माण स्वीकृति के जो अवैध भवनों का निर्माण किया गया है, उक्त अवैध भवनों में से कितने भवनों को सीज किया गया है, उनकी सूचना एवं सीज किए जाने की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को जारी नोटिस व कार्यालय स्तर पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं उक्त अवधि में सीज किए गए अवैध भवनों की स्थिति की सूचना प्रत्येक सीज भवन अनुसार उपलब्ध करावें तथा वर्तमान में मुकरीमाता के नीचे रोड के पास स्थित खसरा संख्या 99 गै.मु.नाला के पास खसरा संख्या 279/87 किस्म गै.मु.नाला की भूमि में बिना निर्माण स्वीकृति के ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा अवैध भवन का निर्माण किया जा रहा है, उक्त अवैध भवन निर्माण कार्य को रूकवाने हेतु रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा जारी नोटिस की प्रति एवं डॉ. अजय सिंगला द्वारा निर्माण किए गए अस्पताल भवन के सम्बन्ध में जांच करवाने हेतु अपीलांट द्वारा माह जून 2025 में परिवाद प्रस्तुत किया गया था, उक्त परिवाद पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को दिनांक 03.07.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा जनवरी 2010 से आज तक कार्यालय के अधीनस्थ क्षेत्र मे बिना स्वामित्व दस्तावेज/बिना निर्माण स्वीकृति के जो अवैध भवनों का निर्माण किया गया है, उक्त अवैध भवनों में से कितने भवनों को सीज किया गया है, उनकी सूचना एवं सीज किए जाने की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को जारी नोटिस व कार्यालय स्तर पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं उक्त अवधि में सीज किए गए अवैध भवनो की स्थिति की सूचना प्रत्येक सीज भवन अनुसार उपलब्ध करावें तथा वर्तमान में मुकरीमाता के नीचे रोड के पास स्थित खसरा संख्या 99 गै.मु.नाला के पास खसरा संख्या 279/87 किस्म गै.मु.नाला की भूमि में बिना निर्माण स्वीकृति के ब्रह्माकुमारी संस्थान द्वारा अवैध भवन का निर्माण किया जा रहा है, उक्त अवैध भवन निर्माण कार्य को रूकवाने हेतु रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा जारी नोटिस की प्रति एवं डॉ. अजय सिंगला द्वारा निर्माण किए गए अस्पताल भवन के सम्बन्ध में जांच करवाने हेतु अपीलांट द्वारा माह जून 2025 में परिवाद प्रस्तुत किया गया था, उक्त परिवाद पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही